न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 138/2023

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—:बनामः—

मनोज राजपुरोहित पुत्र रामसिंह (विक्रेता)
मैसर्सः—बालाजी मिष्ठान भंडार, धौलीपाल, तहसील हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—मेहरी पुरोहितान, तहसील सरदारशहर, जिला चुरू।

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री जीतराम नायक, अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांक :—23.01.2026

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 01.08.2023 को समय 12.30 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—बालाजी मिष्ठान भंडार, धौलीपाल, तहसील हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर मनोज राजपुरोहित पुत्र रामसिंह (विक्रेता) निवासी—मेहरी पुरोहितान, तहसील सरदारशहर, जिला चुरू मौके पर मिला। उक्त विक्रेता के पास फ्रिज में स्टील टोपिये में खाद्य पदार्थ Dahi तादाद करीब 10 किलोग्राम आमजन के विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 800 ग्राम Dahi अच्छी तरह हिलामिलाकर नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। जिसको मथनी से एक रूप करवाकर चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी खाली प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया तथा प्रत्येक शीशी के Dahi में 16—16 बूंदे फॉर्मलिन की डाली गई। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Dahi के खरीद मूल का 64/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता का अंगूठा निशान, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान को सुनाकर एवं समझाकर अंगूठा निशान लिये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 800 ग्राम Dahi को चार बराबर भाग में प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया और चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता के अंगूठा निशान व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं0 एके—2782 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—2782 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1152 दिनांक 14.08.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/14709—10 दिनांक 23.08.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात

न्याय निर्णायक आधेकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Substandard Dahi का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Dahi विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र के कथनों का दोहराव करते हुये बहस की गई कि अप्रार्थी को माल खरीद रसीद नहीं दी गई व ना ही अप्रार्थी को 64/–रूपये का नगद भुगतान किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी को नहीं बताया कि नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। अप्रार्थी के सामने कोई फर्द तैयार नहीं की व ना ही अधिग्रहित अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये, सभी कार्यवाही कार्यालय में बैठकर तैयार की गई। रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि में रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई। अप्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है। अप्रार्थी दुकान पर दही बनाकर बेचान करने का कार्य करता था। अप्रार्थी दही घर पर बनाकर 60/–रूपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता था व अप्रार्थी अपने घर अमरीकन गाय रखता है। अमरीकन गाय की दूध से दही बनाता है। अमरीकन गाय के दूध में फैन्ट अक्सर कम आती है। अप्रार्थी को एक किलोग्राम दही में 05 रूपये बचते थे जिससे अप्रार्थी के घर का खर्चा चलता था। अप्रार्थी ने स्वयं कोई मिलावट नहीं की है बल्कि अमरीकन गाय के दूध में फैन्ट की कमी बताई गई है, तो भी प्रार्थी किसी भी प्रकार से दही के निर्माण करने का दोषी नहीं है क्योंकि पूर्व में भी बताया गया कि अप्रार्थी अमरीकन गाय के दूध से दही बनाता था। अप्रार्थी की आज माली हालत भी काफी खराब है। अप्रार्थी किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। अप्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। अतः अप्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाकर व अप्रार्थी की वर्तमान माली हालत को मध्यनजर रखते हुये अप्रार्थी के विरूद्ध अमल में लाई गई कार्यवाही निस्तारण किये जाने की कृपा करें। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि दिनांक 01.08.23 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैंपल संग्रहण करने किसी वाहन पर गये थे, साथ में कौन–कौन था एवं 64/–रूपये का भुगतान अप्रार्थी को किस प्रकार किया गया इसका उल्लेख नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि मौके पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभिभाषक अप्रार्थी के प्रतिउत्तर में कथन किया कि सैंपल संग्रहण के दौरान विभाग द्वारा अनुबंधित वाहन का उपयोग किया जाता है। उक्त प्रकरण में नमूना संग्रहण के दौरान श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं होमगार्ड स्वयंसेवक उनके साथ थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त नमूना के खरीद मूल्य 64/–रूपये का भुगतान अप्रार्थी को नगद किया गया जिसका विक्रय बिल संलग्न पत्रावली है जिस पर विक्रेता का अंगूठा निशान है। मौके पर गवाहों के फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये जो कि संलग्न पत्रावली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त नमूना संग्रहण में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय की गई Dahi की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Substandard Dahi का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Substandard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 50,000/–(अखरे रूपये पचास हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़